न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री भागीरथ बिश्नाई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 132/2018
आर.सी.एम.एस. :: 2018/00165

प्रार्थी :—	बनाम	अप्रार्थी:—
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) रानी		भंवरसिंह पुत्र चन्दनसिंह जाति राजपूत निवासी डुठारिया तहसील रानी जिला पाली (राज.)

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :—
प्रार्थी की ओर से श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार उपस्थित
अप्रार्थी एवं उनकी ओर से नियुक्त अधिवक्ता अनुपस्थित

—:: आदेश ::—

दिनांक : 31/12/2018

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) रानी द्वारा यह प्रार्थना पत्र याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना में विरूद्ध अप्रार्थी भंवरसिंह के नाम अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम डुठारिया पटवार हल्का भादरलाऊ तहसील रानी के खसरा नम्बर 330 रकबा 0.9500 है. किस्म बा.दो. के नियम विरूद्ध किए गए आवंटन को निरस्त करने के लिए माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को रेफरन्स प्रेषित करने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र मेवाड़ा ने वकालत नामा पेश किया, जो वक्त बहस अनुपस्थित होने से प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया। सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

सरकारी पैराकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम डुठारिया, पटवार हल्का भारदलाऊ तहसील रानी जिला पाली के ख.न. 330 रकबा 0.9500 है. किस्म बा.दो. जो गैर मुमकिन नदी दर्ज थी। जिसका आवंटन अप्रार्थी के भवंरसिंह पुत्र चन्दनसिंह के पक्ष में उपखण्ड अधिकारी बाली के आदेश क्रमांक 1253 दिनांक 23.05.1974 के द्वारो किस्म परिवर्तन गै.मु. नदी से बा.दो. कर किया गया है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से आवंटन नहीं किया जा सकता है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा किया गया उक्त आवंटन विधि विरूद्ध होने से एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालनार्थ माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रश्नगत आराजी की भूमि के आवंटन आदेश के साथ ही उससे संदर्भित नामान्तरकरण संख्या 209 दिनांक 25.04.1975 को निरस्त करवाकर पुनः गैर मुमकिन नदी दर्ज कराने हेतु रेफरेन्स फरमाया जावें।

सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम डुठारिया, पटवार हल्का भादरलाऊ तहसील रानी के ख.न. 330 किस्म रकबा 0.9500 बीघा किस्म बा.दो. जो गैर मुमकिन नदी दर्ज थी, जिसका आवंटन अप्रार्थी भंवरसिंह पुत्र चंदनसिंह के हक में उपखण्ड अधिकारी बाली ने अपने आदेश क्रमांक 1253 दिनांक 23.05.1974 के द्वारा किस्म परिवर्तन कर किया गया एवं उसकी पालना में

अति० जिला कलक्टर, पाली

नामान्तरकरण संख्या 209 दिनांक 25.04.1974 स्वीकृत किया गया जिसके द्वारा उसको खातेदार दर्ज किया गया था। जो आज भी बदस्तुर खातेदार दर्ज है। वक्त आवंटन/नियमन जैर प्रार्थना पत्र आराजी गैर मुमकिन नदी दर्ज थी जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से अप्रार्थी के हक में किया गया आवंटन विधि विरूद्ध होने से स्पष्टतया खारीज योग्य है। इसके साथ ही जैर प्रार्थना पत्र आराजी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1539/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 से भी पूर्णतः प्रभावित होने से उपखण्ड अधिकारी के आवंटन ओदश एवं उसकी पालना में तहसीलदार देसूरी द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 209 दिनांक 25.04.1975 को कायम रखा जाना विधि सम्मत नहीं है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, रानी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि अप्रार्थी भवंरसिंह पुत्र चंदनसिंह निवासी डुठारिया तहसील रानी जिला पाली (राज.) के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश क्रमांक 1253 दिनांक 23.05.1974 एवं उसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 209 दिनांक 25.04.1975 को निरस्त फरमाया जावे।

(भागीरथ बिश्नाई)
अति.जिला कलेक्टर, पाली